छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारीडीह, शंकर नगर, रायपुर
दूरभाष- 4065100 से 4065110 फैक्स - 2283594
ई-मेलः mfpfed.cg@nic.in वेबसाइटः www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/4 दिनांक 08.08.2017

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 संग्रहण काल में भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत क्रय की इकाईयों में संग्रहित एवं गोदामीकृत महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के विक्रय हेतु

ऑफर सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु अधिकृत किया है,

- शासन के आदेशानुसार, संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्रों पर लाए गए महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के लिए, भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय मूल्य का भुगतान कर प्राथमिक समितियों के द्वारा महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का क्रय कर भंडारित किया गया है।

अतएव अब संघ उक्त महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों / पंजीकृत फर्मों / विविध कंपनियों से मुहरबंद ऑफर आमंत्रित करता है।

2. परिभाषायें, ऑफर के निबंधन एवं शर्तें ऑफरकर्ता के लिए निर्देश -

परिशिष्ट-I
(निबंधन एवं शर्तें)

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट- I में सम्मिलित "ऑफर के निबंधन एवं शर्तें तथा ऑफरकर्ता के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी। ये "ऑफर के निबंधन एवं शर्तें तथा ऑफरकर्ता के लिए निर्देश" इस ऑफर सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं।

अनुसूची (महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की लाट सूची)

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि -

(I) विभिन्न लाटों में इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित गोदामों में भण्डारित महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के लिये ऑफर दिनांक 22.08. 2017 को अपरान्ह 4:00 बजे तक सीलबंद ऑफर संघ मुख्यालय, रायपुर में आमंत्रित किये जाते हैं। संघ मुख्यालय रायपुर में निर्धारित समय तक प्राप्त उक्त ऑफर उसी दिन अपरानह 4:10 बजे उपस्थित ऑफरकर्ताओं के समक्ष खोले जावेंगे।

(II) करार अवधि क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 120वां दिवस होगी। इस ऑफर सूचना के अंतर्गत निर्वर्तन किये जाने वाले महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का विवरण अनुसूची में दिया गया है। महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की अधिसूचित मात्रा के लिए इस ऑफर सूचना के प्रावधानों के अंतर्गत क्रय / विक्रय के लिये होगा, परन्तु यदि किसी लाट में इस ऑफर सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा है तब क्रेता को उसे भी उसी लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा। किश्त की राशि निश्चित की जावेगी।

4. ऑफर पत्र आदि -

परिशिष्ट-II (ऑफर पत्र) परिशिष्ट-III (ऑफरकर्ता करारनामा)

(I) ऑफरकर्ता को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-II) में ही अपनी ऑफर परिशिष्ट-III में दिये गये प्रपत्र में ऑफरकर्ता के करारनामा के साथ प्रस्तुत करना होगी। ऑफर पत्र तथा ऑफरकर्ता का करारनामा संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। ऑफर पत्र तथा ऑफरकर्ता का करारनामा किसी भी कार्यालय में विक्रय हेतु उपलब्ध नही होंगे। ऑफर पत्र पूर्णतः निःशुल्क है, ऑफरकर्ता ऑफर पत्र हेतु किसी प्रकार की राशि जमा न करें।

(II) ऑफरकर्ता स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने ऑफर पत्र के साथ ऑफरकर्ता का करारनामा प्राप्त कर लिया है क्योंकि ऑफर के साथ सम्यक् रुप से निष्पादित ऑफरकर्ता का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है। आवश्यक समस्त अभिलेख डाउनलोड कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व ऑफरकर्ता का है।

5. ऑफर का प्रस्तुतिकरण -

(I) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार सभी ऑफरकर्ताओं को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) ऑफर पत्र में अंकित एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) ऑफर पत्र परिशिष्ट- II के द्वितीय पृष्ठ पर बिन्दु क्रमांक 3.4 में अंकित करना होगा।

(II) सभी दृष्टियों से पूर्ण ऑफर एक मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखी जावेगी।

2015, 2016 एवं 2017 संग्रहण काल में भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत क्रय की इकाईयों में संग्रहित एवं गोदामीकृत महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के क्रय करने हेतु ऑफर।

ऑफर खोलने की तिथि 22.08.2017
(ऑफर अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/04 दिनांक 08.08.2017)

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट
वी.आई.पी.क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर
रायपुर - 492007

प्रेषक,

ऑफरकर्ता का नाम - ....
पता - ....

(III) ऑफर पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा प्रबंध संचालक, संघ को अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति को सम्यूक अभिस्वीकृति प्राप्त करके दिया जा सकेगा ऑफर दिनांक 22.08.2017 को अपरान्ह 4:00 बजे तक सीलबंद ऑफर संघ मुख्यालय, रायपुर में आमंत्रित किये जाते हैं। संघ मुख्यालय रायपुर में निर्धारित समय तक प्राप्त उक्त ऑफर उसी दिन अपरान्ह 4:10 बजे उपस्थित ऑफरकर्ताओं के समक्ष खोले जावेंगे। सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी ऑफर इस तिथि को प्राप्त की जावेंगी।

6. ऑफर का खोला जाना -

(I) संघ मुख्यालय में निर्धारित समय तक प्राप्त ऑफर उसी दिन अपरान्ह 4.10 बजे से संघ मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी.क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर - 492007 में ऐसे ऑफरकर्ताओं के समक्ष, जो उपस्थित हों, खोली जावेंगी। भले ही ऑफरें खोले जाने वाले दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया हो।

(II) प्राप्त ऑफर प्रबंध संचालक, संघ के द्वारा गठित समिति के द्वारा खोले जायेंगे।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

(I) सफल ऑफरकर्ता का प्रस्ताव ई-मेल जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की लाट के क्रय की संविदा ऑफरकर्ता और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं ऑफरकर्ता लाट का क्रेता माना जावेगा।

(II) सफल ऑफरकर्ता को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 15 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट (IV) (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा। ऑफरकर्ता के द्वारा 2000/- रूपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रकार 15वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 15 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 10% की

राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा ऑफरकर्ता को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि लाट / लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्‌वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू-राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्‌वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

8. देय राशि का भुगतान-

क्रेता महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के क्रय से संबंधित देय राशि का भुगतान क्रेता करारनामा में उल्लेखित रीति से करेगा। क्रेता देय राशि का भुगतान निम्नांकित तिथियां या उसके पूर्व करेगाः-

	किश्त	दिनांक
1.	प्रथम किश्त	क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 60वां दिवस
2.	द्वितीय किश्त	क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 90वां दिवस

9. महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का परिवहन / निकासी -

देय राशि के भुगतान के उपरांत महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का परिवहन / निकासी परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट-**I** से **IV** जिनका कि सन्दर्भ ऊपर दिया गया है जो की संघ की अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/4 दिनांक 08.08.2017 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस ऑफर सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें। अतः ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट-**I** से **IV** को आगामी ऑफरों के उपयोग के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस ऑफर के संदर्भ में ऑफर प्रस्तुत करने के कार्य को ऑफर सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तो की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

12. **क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में** हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित ऑफर से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती ऑफर से समस्त करों सहित प्राप्तियां।

13. यदि कोई केता शासन / संघ के विरूद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन / संघ के पक्ष में होता है तो केता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली केता से ब्याज सहित की जावेगी।

14. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

परिशिष्ट- I
ऑफर के निबंधन एवं शर्तें तथा ऑफरकर्ताओं के लिए निर्देश जो ऑफर सूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/4 दिनांक 08.08.2017 के भाग है

ऑफर के निबंधन व शर्तें तथा ऑफरकर्ताओं के लिए निर्देश और ऑफर सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये ऑफर सूचना के अभिन्न अंग होंगे।

1. परिभाषाएं -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) **"देय राशि"** से तात्पर्य लाट में भंडारित मात्रा के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल ऑफरकर्ता को देनी होगी। अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहित / क्रय मात्रा का ऑफर पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा।

(ii) **"परिशिष्ट"** से तात्पर्य ऑफर सूचना के परिशिष्ट से है।

(iii) **बकाया** से अभिप्रेत है ऑफरकर्ता के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना ऑफर समाप्ति की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक से भेजी गई है।

(iv) **"मुख्य वन संरक्षक"** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन क्षेत्रीय महा प्रबंधक भी घोषित है,

(v) **"जिला यूनियन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,

(vi) **"वन मंडलाधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी (सामान्य) से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,

(vii) **"संघ"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।

(viii) **"शासन"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,

(ix) **"लाट"** से तात्पर्य किसी विशिष्ट **गोदाम / कोल्ड स्टोरेज** में भंडारित महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा से है जिसको कि अनुसूची में स्पष्ट किया गया है।

(x) **"नियमावली"** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ अभिवन (वनोपज) नियम 2001 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 से है।

(xi) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो।

(xii) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा लाटों की अधिसूचित क्विंटल में दर्शित मात्रा, को नीचे (xiii) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो।

(xiii) **"क्रय दर"** से तात्पर्य ऑफरकर्ता के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति क्विंटल ऑफर से है, जो बोरों में भरे संग्रहण केन्द्र से परिदान दी जाने वाली महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की मात्रा के लिए जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो।

(xiv) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,

(xv) **"देय कर"** से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय वस्तु एवं सेवा कर, वन विकास उपकर व तत्समय प्रवृत्त अन्य सभी कर, उपकर / ड्यूटी आदि से है,

(xvi) **"ऑफर दर"** से तात्पर्य उस प्रति क्विंटल दर (जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नही हैं) से है जो ऑफरकर्ता किसी लाट के महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के क्रय के लिए परिशिष्ट- II में दिए गए ऑफर पत्र की कंडिका 8 में प्रस्तावित करेगा।

(xvii) **"ऑफरकर्ता"** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा क्रय करने हेतु ऑफर प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे।

(xviii) 1. **महुआ बीज** से तात्पर्य फल से गूदा हटाकर गुठली के कड़े सतह को तोड़कर प्राप्त होने वाले बीज (दाने) से है।

2. **लाख** से तात्पर्य कुसुम, बेर तथा पलास पोषक वृक्ष की टहनियों पर लाख कीट द्वारा उत्सर्जित प्राकृतिक राल (क्रमशः कुसुमी तथा रंगीनी लाख) से है

(xix) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है।

2. **विक्रय " जहां है जैसा है" के आधार पर -**

(I) शर्त क्रमांक 2(II) के अध्यधीन रहते हुये महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है। इच्छुक ऑफरकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि वे उन गोदामीकृत महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के लाटों जिनके लिऐ वे ऑफर प्रस्तुत करना चाहते है, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा प्रत्येक लाट में महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की गुणवत्ता के बारे में भी अपनी संतुष्टि कर लें। ऑफर प्रस्तुतीकरण के पश्चात् महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही ऑफरकर्ता का ऑफर स्वीकृत हो जाने के पश्चात् संघ महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की गुणवत्ता में ह्रास के लिए उत्तरदायी होगा तथा महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा क्रेता के उत्तरदायित्व पर गोदाम में भण्डारित रहेगा।

(II) महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की अनुसूची में वर्णित क्विंटल में अधिसूचित मात्रा के क्रय / विक्रय के लिए होगा। परन्तु यदि किसी लाट में इस ऑफर सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक है, तब क्रेता को उन्हे भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा। अतिरिक्त राशि का भुगतान क्रेता द्वारा लाटा का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना करना होगा। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा किश्तों में तद्नुसार संशोधन किया जावेगा। तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किश्तों को मान्य करना होगा।

(III) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानान्तरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ / जिला यूनियन के पास सुरक्षित है।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते है ऑफर सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे।

4. ऑफर प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

(I) ऑफर पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह / वे किस हैसियत से ऑफर पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है / कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में। भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और ऑफर पत्र पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे। पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति ऑफर पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी जो न करने पर ऑफर अमान्य किये जाने योग्य होगी। जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो। मर्यादित कम्पनी की स्थिति में ऑफर पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी मेमोरेंडम और आर्टीकल आफ एसोसिएशन की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को ऑफर अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, ऑफर पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जो न करने पर ऑफर अमान्य किये जाने योग्य होगी। अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम ऑफर पत्र में लिखे जायेंगे तथा "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, ऑफर पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और अपने हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत का उल्लेख करेगा।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से ऑफर पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऑफर पत्र के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, ऑफर पत्र के साथ संलग्न करेगा। यदि ऑफर पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता हैं, तो उसकी ऑफर संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी। मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(III) अवयस्क, दिवालिया, बकायादारों अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत ऑफर अवैध मानी जावेंगी। ***यदि कोई कालीसूची में दर्ज व्यक्ति / फर्म किसी अन्य व्यक्ति के साथ दूसरी फर्म बना लेता है तो वह फर्म भी काली सूची में दर्ज मानी जावेगी।***

(IV) ऐसा ऑफरकर्ता जो कि बकायादार है, ऑफर पत्र के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान कर सकता है परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा ऑफर के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि वापस की जावेगी।

(V) यदि कोई ऑफरकर्ता ऑफर के खुलने के समय कोई कदाचार करता हैं या शांति बनाये रखने में बाधा डालता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत ऑफर अवैध घोषित कर दी जायेगी एवं उसके द्वारा ऑफर के साथ जमा सत्यंकार की राशि अधिहरित कर ली जावेगी तथा ऐसी ऑफर के अवैध घोषित किये जाने के कारण संघ को हुई हानि उससे वसूली योग्य होगी और इसके अतिरिक्त ऐसे ऑफरकर्ता

को ऐसी कालावधि के लिए मुख्य वन संरक्षक द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो तीन वर्षों तक हो सकती है।

5. **सत्यंकार की राशि** -

(I) A- प्रत्येक ऑफर, सत्यंकार की राशि जो अधिसूचित महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की मात्रा के आधार पर ऑफर दर से गणना किये गये क्रय मूल्य के 10% के बराबर होगी, के साथ प्रस्तुत की जावेगी। यदि प्रस्तुत की गई ऑफर में आवश्यक सत्यंकार से कम राशि जमा की गई तो ऑफर प्रपत्र में केवल क्रमांक - 1 से उस क्रमांक तक के प्रस्ताव वैध माने जायेंगें, जहॉ तक की सत्यंकार की राशि उपलब्ध है। बाद के क्रमांकों पर दर्शाये प्रस्ताव अवैध माने जायेंगें तथा उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

B-यह सत्यंकार की राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक के पक्ष में, रायपुर में देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अथवा रायपुर स्थित संघ के खाता में जिसका विवरण शर्त क्रमांक - 12 में दिया गया है द्वारा RTGS के माध्यम से हस्तांतरण द्वारा कर सकता है। RTGS राशि ऑफर प्रस्तुततीकरण की अंतिम तिथि तक संघ के बैक खाते में न होने की स्थिति में ऑफर संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगें। अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर ऑफर अंतिम रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी।

(II) सफल ऑफरकर्ता के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 9(I) के अनुसार समायोजित की जावेगी।

(III) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि ऑफरकर्ता के निवेदन पर उसको आवंटित लाट / लाटों के क्रय मूल्य के भुगतान की ओर समायोजित की जावेगी।

(IV) असफल ऑफरकर्ताओं की सत्यंकार राशि उन्हें परिणाम घोषित होने के उपरांत वापिस कर दी जावेगी।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. **ऑफर भरने की प्रक्रिया** -

(I) एक अथवा एक से अधिक लाटों के क्रय के लिए ऑफरकर्ता एक ही ऑफर प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई ऑफरकर्ता एक से अधिक ऑफर प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा।

(II) ऑफर केवल संघ की वेबसाईट से डाउनलोडेड ऑफर पत्रों पर ही प्रस्तुत की जा सकेगी अन्यथा प्रस्तुत की गई ऑफर अवैध मानी जावेगी।

(III) ऑफरकर्ता को ऑफर पत्र में क्रमांक के अनुसार प्रत्येक लाट के क्रय के लिए अपनी अलग-अलग ऑफर दर देनी होगी। अपने ऑफर पत्र में प्रस्तावित करेगा। प्रस्ताव में प्रति क्विंटल दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नही। ऑफर दर पूर्ण रूपये में दी जावेगी। यदि दर रूपये के अंश में प्रस्तावित की गई तो उसे अगले अधिक पूर्ण रूपये में ही संघ द्वारा माना जावेगा और ऑफरकर्ता को उसे मानना होगा। यदि अंको और शब्दों में दी गई दरों में अंतर हो तो उनमें से उच्चतम दर को ही ऑफरकर्ता का प्रस्ताव माना जावेगा।

(IV) यदि कोई ऑफरकर्ता एक लाट के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये।

(V) यदि ऑफरकर्ता के द्वारा प्रस्तुत ऑफर में किसी लाट के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाट के लिए दिया गया है या किस राशि के लिए है अथवा यदि किसी लाट की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है अथवा किसी लाट के नाम एवं क्रमांक में अन्तर पाया जाता है तो उस लाट के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

(VI) ऑफरकर्ता को अपने ऑफर पत्र में अपना **<u>पूर्ण एवं सही डाक का पता, दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल का पता</u>** इस हेतु निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। ऑफर पत्र में दर्शाये गए ई-मेल के पते पर भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किए गये माने जावेंगे। ऑफरकर्ता को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है। यदि ऑफरकर्ता के द्वारा अंकित किया गया डाक पता या ई-मेल का पता गलत पाया जाता हैं तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

(VII) यदि कोई ऑफरकर्ता अपनी ऑफर में किसी प्रविष्टि को काटकर अथवा उपरिलेखन करके कोई शुद्धि करता है तो ऐसे शुद्धिकरण का विवरण ऑफर पत्र की कंडिका-8 में दिया जाना आवश्यक है तथा सही की गई प्रविष्टी पर ऑफरकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जावेंगे। ऑफर पत्र की कंडिका-8 में उल्लेखित शुद्धिकृत प्रविष्टियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य काटी अथवा उपरिलिखित प्रविष्टि पाई जाती हैं अथवा यदि सुधार उपरांत किसी प्रविष्टी पर ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये जाते हैं तो उस प्रविष्टि को अवैध माना जावेगा और उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(VIII) ऑफरकर्ता को ऑफर पत्र के प्रत्येक पृष्ठ को भरना होगा और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्यक् रूप से निष्पादित किये गये ऑफरकर्ता के करारनामे को संलग्न कर, ऑफर सूचना की शर्त क्रमांक-5 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा। सम्यक् रूप से निष्पादित ऑफरकर्ता का करारनामा तथा अन्य अभिलेख ऑफर पत्र के साथ संलग्न न किये जाने पर, ऑफर विचार किये जाने योग्य नहीं होगी।

7. ऑफर को वापिस लिया जाना आदि -

(I) ऑफर का खुलना प्रारम्भ होने के पूर्व कोई भी ऑफरकर्ता ऑफर सूचना की शर्त क्रमांक-6 के अंतर्गत, ऑफर को खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, उसके द्वारा किसी लाट / लाटों के लिए किये गये प्रस्ताव को वापस ले सकेगा। प्रस्ताव वापसी के आवेदन पत्र में लाट के क्रमांक का एवं लाट के नाम का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जिनके प्रस्ताव वापस लिये जाना प्रस्तावित है। उक्त विवरण के अभाव में अथवा लाट क्रमांक एवं लाट का नाम में भिन्नता होने पर संबंधित प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(II) ऑफर का खुलना प्रारम्भ होने के उपरांत कोई भी ऑफरकर्ता किसी लाट के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा ऑफर सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता। इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट / लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट, लाट की अधिसूचित मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 10% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

8. ऑफर को स्वीकार किया जाना -

(I) शासन / संघ ऑफर पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव / प्रस्तावों को बिना कारण दर्शाये स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(II) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए किसी दिवस पर एक ही ऑफरकर्ता के द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर प्रति क्विंटल या उससे अधिक दर प्रास्तावित की जाती है तो उस वैध ऑफर को संघ द्वारा सामान्यतः स्वीकार किया जावेगा।

(III) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए किसी दिवस पर एक से अधिक वैध ऑफरकर्ताओं के द्वारा भिन्न-भिन्न दर प्रस्तावित की जाती है, तो उस लाट का आबंटन संघ द्वारा अधिक दर (पूर्ण रूपये में) ऑफर करने वाले ऑफरकर्ता को किया जावेगा।

(IV) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए एक से अधिक ऑफरकर्ताओं के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस लाट का आवंटन संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी।

(V) ऑफरकर्ता ऐसे लाट / लाटों जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा।

9. प्रतिभूति निक्षेप-

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल ऑफरकर्ता को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों के कुल क्रय मूल्य की 20% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई क्रय मूल्य के 10% की सत्यंकार की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि निर्धारित समय के अंदर उसे जमा करना होगा। अवशेष प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पास, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के मुख्यालय के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में अदा की जाएगी।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।

(IV) यथा स्थिति प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों तथा ऑफर सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, अंतिम भुगतान में समायोजित की जा सकेगी।

10. अधिनियम आदि का उल्लंघन -

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और / अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत वह दंडित किया जाता है या उसके

करारनामें को समाप्त किया जाता है, को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में मुख्य वन संरक्षक द्वारा दर्ज किया जा सकेगा।

11. करारनामें का हस्तांतरण -

क्रेता प्रबंध संचालक, संघ की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण प्रबंध संचालक, संघ द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रू. 5000/- की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाट के क्रय मूल्य की 15% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड / बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर रायपुर में देय होगा, के माध्यम से अग्रिम में अदा करें। हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत विनिर्माता / व्यापारी / उपभोक्ता के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क रू. 5000/- प्रबंध संचालक, संघ के कार्यालय में क्रेता नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिवस के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में संबंधित लाट का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है।

12. क्रेता द्वारा देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया -

(I) ऑफरकर्ता द्वारा

ऑफरकर्ता को सत्यंकार (E.M.D.) की राशि का भुगतान आनलाइन Payment Gateway Service Provider के माध्यम से ही करना होगा। ऑफरकर्ता द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है।

1. क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards)

ऑफरकर्ता द्वारा क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards) के विकल्प का चयन करने के उपरांत Payment Gateway में दर्शाये निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

2. नेट बैंकिग (Net Banking)

ऑफरकर्ता केवल नेट बैंकिग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से ही राशि आनलाइन ट्रांसफर कर सकता है। नेट बैंकिग के लिये कई बैंकों की सूची Payment Gateway में प्रदर्शित होगी। उसके बाद ऑफरकर्ता को अपने बैंक का चयन कर Payment Gateway में दर्शाये निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

(II) ऑफरकर्ता द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर

1. क्रेता छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को देय समस्त राशि जैसे कि विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, वस्तु एवं सेवा कर, आय कर, ब्याज एवं **गोदाम / कोल्ड स्टोरेज** किराया आदि का भुगतान किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा **परिशिष्ट-V** में जिला यूनियन के समक्ष दर्शाये स्थान के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में जिला यूनियन कार्यालय में अथवा रायपुर स्थित निम्न बैंकों में उनके समक्ष दर्शाये RTGS कोड / बैंक खाता क्रमांक में RTGS के माध्यम से हस्तानांतरण द्वारा कर सकता है।

बैंक एवं शाखा का नाम	**RTGS कोड / बैंक खाता क्रमांक**
Punjab National Bank, Raipur (Main Branch)	PUNB0039900/0399005900000067

बैंक के द्वारा संचालित RTGS व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान के कारण संघ के खाते में राशि प्राप्त न होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा। RTGS व्यवस्था से भुगतान की तिथि वही मानी जावेगी, जिस तिथि को संघ के बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी।

क्रेता द्वारा भुगतान करने के उपरांत मनी रसीद जारी करने हेतु **परिशिष्ट-VI** में आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा मनी रसीद जारी की जावेगी।

क्रेता द्वारा RTGS करने एवं राशि संघ के खाते में जमा होने की पुष्टि पश्चात् ऑनलाईन मनी रसीद संबंधित जिला यूनियनों को उनके ई-मेल पर, क्रेता के ई-मेल पर तथा संघ मुख्यालय के ई-मेल पर स्वतः प्राप्त हो जावेगी।

परिशिष्ट- II

(ऑफर अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/4 दिनांक 08.08.2017 का परिशिष्ट)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 संग्रहण काल में भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत क्रय की इकाईयों में संग्रहित एवं गोदामीकृत महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के क्रय हेतु
ऑफर पत्र
(ऑफर सूचना शर्त -4)

1. मैं / हम / मेसर्स .... (नाम) आत्मज .... (नाम) ग्राम .... पुलिस थाना......................................जिला.. .....एतद् द्वारा कच्चे माल के रूप में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में संग्रहित एवं भण्डारित समस्त महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की मात्रा जिसका विवरण नीचे कंडिका 9 की तालिका में दर्शाये गये विक्रय लाट लाट क्रमांक व नाम का है, ऑफर सूचना तथा करारनामे की शर्तो तथा निबंधनों के अनुसार क्रय करने के लिए करार करता हूँ / करते है।

2. मैं / हम .... (नाम) ....को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान नीचे कंडिका 9 की तालिका में बताये अनुसार लाट / लाटों के संग्रहण केन्द्रों पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में संग्रहित एवं भण्डारित महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के लिये प्रत्येक लाट के लिए प्रति क्विंटल दर अर्थात् ''ऑफर दर'' जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, वन विकास उपकर व अन्य कर / उपकर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूँ / करते हैं।

3. मैं / हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ / करते हैं, कि मैंने / हमने छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के समस्त उपबंधनों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, ऑफर सूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/..... दिनांक .... की शर्तों और ऑफर सूचना में संलग्न करारनामें की शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं / हम उनका पालन करने का करार करता हूँ / करते हैं, मैंने / हमने उपरोक्त विक्रय लाट का, जिसके लिये ऑफर दी जा रही है, स्वयं निरीक्षण किया है।

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर.................
हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम...................

4. मैं / हम ऑफर सूचना के निबंधन तथा शर्तों के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित संलग्न करता हूँ / करते हैं।

अ.क्र.	अभिलेख	विवरण	ऑफर पत्र के साथ संलग्न पृ.क्रमांक.......... से ....तक
1.	क्रय मूल्य की 10% के रूप में जमा की गई सत्यंकार की राशि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 5(I))		
योग कंडिका क्र.(1)			
2.	वन विभाग / संघ को शोध्य रकम के भुगतान का विवरण (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 4(IV))		
योग कंडिका क्र.(2)			
3.	मुख्त्यारनामा की / फर्म के पंजीयन की / फर्म भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र.4)	(संलग्न किये गये अभिलेख का नीचे विवरण दें)	
4.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 A के अनुसार आवश्यक स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) का विवरण (ऑफर सूचना की शर्त क्रमांक 5(I)	आयकर का स्थाई खाता क्रमांक (PAN) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (फोटो प्रति संलग्न करें)	
5.	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीयन का प्रमाण पत्र	वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन क्रमांक ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (फोटो प्रति संलग्न करें)	

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर.................

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम..................

5. मैं / हम एतद् द्वारा घोषित करता हूँ / करते है कि मैं / हम मेरी / हमारी ऑफर खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस ऑफर सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूँगा / रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं दे दिए जाते या दूसरा व्यक्ति या पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान उन लाटों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता / जाते हैं।

6. फर्म के भागीदारों के नाम व पते इस प्रकार हैं :-

अ.क्र.	**नाम**	**पता**	**हस्ताक्षर**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

7. मैं / हम एतद् द्वारा प्रकट करता हूँ / करते है कि ऑफर पत्र के विभिन्न ब्योरे भरते समय मैंने/हमने कतिपय प्रविष्टियों में सुधार किया है जिनके पृथक - पृथक ब्योरे निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	**ऑफर पत्र का पृ.क्र.**	**पंक्ति का क्रमांक**	**सही की गई प्रविष्टि**
1	**2**	**3**	**4**

मैंने / हमने उपरोक्त प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर भी कर दिये है। (परिशिष्ट- I में दी गई निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्रमांक 6(VIII))

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर..........................

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम ....

8. मैं / हम / मेसर्स ....
एतद् द्वारा नीचे दर्शाए गये प्राथमिकता के क्रम अनुसार निम्नांकित महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा लाटों में कच्चे माल के रूप में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में संग्रहित एवं गोदामीकृत महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के क्रय के लिए, उनके समक्ष दर्शाए प्रति क्विंटल क्रय दर अर्थात् ऑफर दर, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कर / उपकर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूँ / करते है।

क्रमांक	वनोपज का नाम	लाट क्रमांक	लाट क्रमांक	प्रस्तावित दर प्रति क्विंटल (रूपये में)	
		(अंकों में)	(शब्दों में)	(अंकों में)	(शब्दों में)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

टीपः- कालम 3 एवं 5 में अंग्रेजी अंकों का ही उपयोग किया जाये।

मैं / हम उपरोक्त दर्शित लाटों में से इस ऑफर पत्र में संलग्न की गई सत्यंकार की राशि की 10 गुना मूल्य के बराबर या उससे कम किसी भी लाट / लाटों में संग्रहित एवं गोदामीकृत महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा को क्रय करने को इच्छुक एवं सहमत हूँ / हैं।

स्थान ....

दिनांक ....

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर...........................

डाक का पूरा पता

....

....

जिला ....

राज्य .... **पिन कोड**.............

दूरभाष क्रमांक ....

ई-मेल : ....

परिशिष्ट- III

(ऑफर अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/4 दिनांक 08.08.2017 का परिशिष्ट)

ऑफरकर्ता का करारनामा

(ऑफर सूचना की शर्त क्रमांक - 4(II))

यह करार आज दिनांक ....माह..................सन्....................को प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक, जिला यूनियन .... के मार्फत कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. (जिन्हे इसके आगे "संघ" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री / मेसर्स..................... .... आत्मज .... ग्राम ....पुलिस थाना ....जिला...... ....(जिन्हें इसके आगे "ऑफरकर्ता कहा गया है", जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है।

और

चूँकि शासन द्वारा संघ को प्रदेश की विभिन्न महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा लाटों में संग्रहित एवं गोदामीकृत महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की समस्त लाटों के निर्वर्तन हेतु अधिकृत किया गया है,

और

चूँकि वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 संग्रहण सीजन में संघ विभिन्न लाट में संग्रहित एवं भण्डारित महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का ऑफर द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा ऑफर आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/4 दिनांक 08.08.2017 जारी की गई है और चूँकि संघ उपरोक्त ऑफर सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित ऑफरकर्ताओं से ऑफर प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है।

अतएव यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. मैं / हम ....एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते है कि मैंने / हमने छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के समस्त उपबंधों और उसके अधीन बनाये नियमों, उपरोक्त वर्णित ऑफर सूचना की शर्तों, ऑफर सूचना के परिशिष्ट-I में दिये गये ऑफर के निबंधनों एवं शर्तों तथा ऑफरकर्ताओं के लिए निर्देश तथा उपरोक्त ऑफर सूचना से संलग्न क्रेता करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं / हम उनका पालन करने का करार करता हूँ / करते हैं।

2. मैं / हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मैं / हम ऑफर खुलना प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूंगा / लेंगे। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते है कि मैं/हम ऑफर खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस ऑफर सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस लाट / लाटों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके / जिनके लिए मैंने / हमने ऑफर प्रस्तुत की है।

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर..........................

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम ....

3. मेरे / हमारे ....के द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं / हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूँगा / रहेंगे जैसी कि ऑफर सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी।

4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/4 दिनांक 08.08.2017 के अधीन जारी की गई ऑफर सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित है, उपबंधों के अध्यधीन है।

5. मैं / हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं / करते है कि मेरे / हमारे विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग अथवा संघ की कोई राशि बकाया है और न ही मैं / हम शासन / संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हूँ / हैं।

   जिसके साक्ष्य में मैंने / हमने संबंधित व्यक्ति / पंजीकृत फर्म / विधिक कम्पनी ने पहले उपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगणः-

1. हस्ताक्षर ....
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....

2. हस्ताक्षर ....
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....
   की उपस्थिति में

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर....................
हस्ताक्षरकर्ता का नाम......................

डाक का पूरा पता..............................
....

साक्षीगणः-

1. हस्ताक्षर ....
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....

संघ की ओर से ....

2. हस्ताक्षर ....
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....
   की उपस्थिति में

....

परिशिष्ट- IV

(ऑफर अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/4 दिनांक 08.08.2017 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(ऑफर सूचना की शर्त क्रमांक - 7)

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्...................को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित..................... जिला यूनियन (जो इसके पश्चात् प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री ....आत्मज .... निवासी .... ग्राम ....और जो (1) श्री... (2) श्री .... (3) श्री .... के साथ .... स्थित कम्पनी, जिसका नाम .... है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा भारतीय वन अधिनियम, 1927 और छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपान्तरणों द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP trough MSP' योजनान्तर्गत महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने 2015, 2016 एवं 2017 में प्रदेश में संग्रहित एवं गोदामीकृत किये गये महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के विक्रय के लिए अपनी ऑफर अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/ .... दिनांक .... के द्वारा ऑफर आमंत्रित की थी, और क्रेता लाट क्रमांक .... लाट का नाम .... की अनुसूची में गोदामीकृत मात्रा .... (अंकों में) .... (शब्दों में) और जिसको कथित ऑफर अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/ .... दिनांक .... की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दरें इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का दिनांक / / को समाप्त होने वाले अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैंः-

1. क्रेता करारनामा की अवधि-

यह करार दिनांक .... से प्रारम्भ होगा और दिनांक .... तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही क्रमांक इस ऑफर सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस ऑफर सूचना के परिशिष्ट-I में उल्लेखित सामान्य / अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा ऑफरकर्ता के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है।

3. क्रय दर आदि -

क्रेता इस लाट में गोदामीकृत मात्रा को जो कि अनुसूची में दर्शित मात्रा से अधिक हो सकती है को रु. ....(अंको में) .... (शब्दों में) प्रति क्विंटल की दर पर क्रय करेगा। लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त वन विकास उपकर, वस्तु एवं सेवा कर एवं सरचार्ज तथा अन्य कर / उपकर भी अदा करेगा।

4. महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की तुलाई एवं परिदान -

(I)(अ) जिला यूनियन .... की महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा लाट क्रमांक .... जिसे अनुसूची में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है, के लगभग 50 किलो के बोरों में भरे महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का क्रेता निर्धारित **गोदामों / कोल्ड स्टोरेज** से बोरे सहित परिदान प्राप्त करेगा ।

(ब) क्रेता को पूर्ण क्रय मूल्य की समस्त करों/उपकरों सहित देय राशि का भुगतान दो बराबर किस्तों में निम्नानुसार दर्शाई तिथियों को या उसके पूर्व करना होगा ।

किश्त	देय तिथि
1. प्रथम किश्त	क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 60वां दिवस
2. द्वितीय किश्त	क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 90वां दिवस

जैसे ही क्रेता एक किस्त का भुगतान कर देता है वह इस शर्तों के उपबंधों के अन्तर्गत **गोदाम / कोल्ड स्टोरेज** में रखे महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की मात्रा का आधे भाग एक तरफ से पाने का हकदार होगा। परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है। छल्ली में से बोरों की छंटाई की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(स) क्रेता को महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का परिदान किश्त की देय तिथि के 20 दिवस के भीतर किश्त का भुगतान कर प्राप्त करना होगा। इस अवधि में परिदान प्राप्त न करने पर अधिसूचित मात्रा की परिदान की गई मात्रा मानी जावेगी। प्रत्येक अवसर पर प्राप्त माल के बोरों की संख्या तथा मात्रा की पावती **गोदाम / कोल्ड स्टोरेज** के परिदानकर्ता अधिकारी को देना होगी।

(द) परिदान प्राप्त करते समय तौल कराने की जिम्मेदारी एवं तौलने का खर्च तथा महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के बोरों को **गोदाम / कोल्ड स्टोरेज** से निकालने का खर्च सफल ऑफरकर्ता को वहन करना होगा।

(इ) गोदाम में समस्त परिदत्त महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा क्रेता के जोखिम पर रहेगा तथा उसकी सुरक्षा देख-रेख का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा, किन्तु पूर्ण क्रय मूल्य की राशि पटाये जाने तक गोदाम में रखे महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा पर संघ का पूर्ण

नियंत्रण रहेगा और इस हेतु संघ अपना ताला लगा सकेगा अर्थात् गोदाम में रखा महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा संघ एवं क्रेता के दोहरे ताले में संघ के नियंत्रण में रहेगा । क्रेता इस तरह गोदाम में रखे महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की गुणवत्ता या मात्रा के संबंध में क्रेता कोई विवाद नहीं कर सकेगा ।

(II) क्रेता इस करारनामे के तहत समस्त भुगतान **परिशिष्ट-I** की शर्त क्रमांक 12 के अनुसार करेगा।

(III) देय तिथियों पर किसी देय राशि का भुगतान न करने पर 0.04 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा। यदि किसी देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी।

(IV) **क्रेता गोदाम/कोल्ड स्टोरेज** में भण्डारित किसी भी महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा को इस आधार पर परिदान प्राप्त करने से अस्वीकार नहीं करेगा कि महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की गुणवत्ता क्रय करने योग्य नहीं है। भण्डारण अवधि में महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की गुणवत्ता के ह्रास का जोखिम क्रेता का होगा।

(V) क्रेता अधिसूचित मात्रा से अधिक भंडारित मात्रा (20% अधिकतम) का परिदान क्रय मूल्य की पूर्ण राशि का भुगतान कर परिदान प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा ।

5. देय राशि के भुगतान की रीति -

(I) क्रेता देय राशि अर्थात् देय करों सहित पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में दो बराबर किश्तों में, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नाम से **परिशिष्ट-VI** में जिला यूनियनों के समक्ष दर्शायें स्थानों के किसी बैंक शाखा पर देय किसी अनुसूचित बैंक के बैंक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा।

(राशि रुपये में)

किश्त	देय राशि की किश्तों के भुगतान की तिथि	क्रय मूल्य की राशि	वन विकास उपकर	वस्तु एवं सेवा कर	अन्य कर	योग
प्रथम						
द्वितीय						

(II) देय तिथियों पर किसी देय राशि का भुगतान न करने पर 0.04 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा। यदि किसी देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी।

6. महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की निकासी -

(क) क्रेता, क्रेता करारनामा की कंडिका 5 के अनुसार देय राशि का भुगतान कर गोदाम से महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा जहां ले जाना चाहे, उसके लिए अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ले जा सकता है। इस समस्त देय राशि में संघ को इस करारनामे के अंतर्गत देय क्रय मूल्य एवं देय समस्त कर सम्मिलित होंगे।

(ख) क्रेता को उसके द्वारा क्रय किये गये महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा को गोदामों से केवल करार अवधि में ही हटाने का अधिकार है तथा करार अवधि समाप्त होने पर उसका महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की शेष मात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसा महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा संघ की संपत्ति बन गया माना जावेगा। तथापि यदि क्रेता ने

लाट के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया है तथा उसका करारनामा समाप्त नहीं किया गया है और उसने अवधि वृद्धि शुल्क के रूप रुपये 10,000/- का तथा **गोदाम / कोल्ड स्टोरेज** किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए समय-समय पर संघ द्वारा निर्धारित दर से भुगतान कर दिया है और मुख्य वन संरक्षक को महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा को हटाने की अनुमति देने हेतु लिखित आवेदन दिया है, तो मुख्य वन संरक्षक ऐसी अनुमती ऐसी कालावधि के लिए दे सकेंगे जो करार की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी।

7. करों का भुगतान-

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त कर का भी भुगतान न कर दिया जाए।

(II) क्रेता छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2005 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर तथा वन विकास उपकर एवं अन्य करों / उपकरों का भुगतान बैंक / डिमांड ड्राफट द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय पर करेगा।

(III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफट के रूप में करेगा। यथा स्थिति संघ को देय महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

8. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करनामा-

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के परिदान के पश्चात् उसका विक्रय प्रमाण- पत्र प्रदान करेगा।

9. करारनामे का अनुपालन-

यदि पूर्वोक्त एवं ऑफर सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन / निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन / परिपालन नहीं किया जाता है, तो महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा।

10. प्रतिभूति निक्षेप-

(I) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में उसके द्वारा ऑफर सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये .... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी

कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि, कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तो, अधिनियम, नियमावली तथा ऑफर सूचना की शर्तो का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात अन्तिम किश्त के विरुद्ध समायोजित की जावेगी।

11. अधिनियम का उल्लंघन आदि-

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ / शासन को रूपये 500/- (पाँच सौ) तक की राशि की देनगी करेगा।

12. शास्तियां-

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 500/- (पाँच सौ) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा।

13. क्रेता के करारनामे की समाप्ति-

(I) यदि क्रेता विक्रय मूल्य की देय राशि (कर / उपकर सहित) देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि 15 दिन के अन्दर अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में मुख्य वन संरक्षक दर्ज कर सकेगा।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगाः-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने।

(ब) लाट के गोदाम में रखे महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के स्कंध, जिसके समस्त देय राशि भुगतान कर दिया गया है परन्तु गोदाम से निकासी नहीं की हो, को संघ के पक्ष में अधिहरित करने।

(स)(एक) गोदामों में रखे महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने।

यदि महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम ऑफर में नहीं हो पाता है तो महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यदि पश्चातवर्ती ऑफर में महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा। यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा। करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगीः-

संबंधित ऑफर से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती ऑफर से समस्त करों सहित प्राप्तियां।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रू. 10,000/- प्रति इकाई / लाट की दर से पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा के स्टाक को निकासी / परिवहन की अनुमति दी जावेगी।

(V) जब भी करार को पुर्नजीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रू. 10,000/- प्रति इकाई / लाट की दर से अवधि वृद्धि शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा गोदाम से हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे।

14. लेखाओं का रख रखाव-

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा एवं ऐसे अभिलेख रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए। गोदाम पर रखे जाने वाले अभिलेख निरीक्षण हेतु किसी भी वन अधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किये जावेंगे।

15. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन-

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा।

16. महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना-

क्रेता महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा।

17. स्टाम्प शुल्क का भुगतान-

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा।

18. प्रथम प्रभार-

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो ऑफर सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमें के अधीन देय है, क्रेता द्वारा परिवहन कर लिए गये महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा पर प्रथम प्रभार होगी।

(दो) क्रेता महुआ बीज, कुसुमी एवं रंगीनी लाख एवं हर्रा का निर्यात या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये।

19. न्यायालय की अधिकारिता-

इस करार के अधीन उद्‌भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा।

20. यदि कोई क्रेता शासन / संघ के विरूद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन / संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी।

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने / उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया।

साक्षीगणः-

1. ....

(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

संघ की ओर से प्रबंध संचालक, जिला यूनियन
.... जिला यूनियन

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः-

साक्षीगणः-

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता / क्रेताओं के हस्ताक्षर

नाम-...................................
डाक का पता-.........................

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

परिशिष्ट – V
जिला यूनियनवार बैंक ड्राफ्ट भुगतान हेतु देय स्थान
(अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/4 दिनांक 08.08.2017)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जहॉ बैंक ड्राफ्ट भुगतान हेतु देय होगा
1	**2**	**3**
1.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
2.	महासमुन्द	महासमुन्द
3.	बलौदा बाजार	बलौदा बाजार
4.	रायगढ़	रायगढ़

परिशिष्ट - VI

(ऑफर अधिसूचना क्रमांक अधिसूचना क्रमांक संघ/वनोपज/2017/4 दिनांक 08.08.2017 का परिशिष्ट)

वनोपज संघ द्वारा मनीरसीद जारी करने हेतु आवेदन पत्र

(जो लागू हो उसे भरे धनादेश अथवा डी.डी. / आर.टी.जी.एस. अथवा एन.ई.एफ.टी./ नेट बैंकिंग)

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषयः- मनीरसीद जारी करने बाबत्।

महोदय,

मैं / हम मनीरसीद जारी करने हेतु निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कर रहे हैं / हूँ :-

1. क्रेता का नाम - ....
2. आयकर का पी.ए.एन. - ....
3. ई-मेल - ....
4. मोबाइल नंबर - ....
5. वनोपज का नाम - तेन्दूपत्ता/ सालबीज/ हर्रा/ गोंद/ इमली/चिरौंजी गुठली/ महुआ बीज/ लाख
6. संग्रहण वर्ष - ....
7. समायोजन का विवरण -

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वर्ष	लाट क्रमांक	राशि
1	2	3	4	5

8. डी.डी. का विवरण (संलग्न)

क्र.	डी.डी. क्रमांक	तिथि	बैंक	राशि
1	2	3	4	5

अथवा

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी का विवरण (बैंक पावती संलग्न)

जमाकर्ता क्रेता का बैंक विवरण		धनादेश जो आर.टी.जी. एस. / एन.ई.एफ.टी. हेतु उपयोग किया गया	यू.टी. आर. क्रमांक	राशि	दिनांक	संघ खाता का नाम एवं खाता क्रमांक जहाँ राशि जमा की गई
बैंक खाता क्रमांक	बैंक खातेदार का नाम					
1	2	3	4	5	6	7

अतः कृपया उपरोक्तानुसार मनीरसीद जारी कर संबंधित जिला यूनियन को भेजने का कष्ट करें एवं साथ ही हमें भी सूचित करें।

दिनांकः- ....

संलग्नः-

(हस्ताक्षर)
नाम एवं पता